SUPREME
SINCE 1983

SUPREME TRANSPORT ORGANISATION PVT LTD
AN ISO 9001: 2008 COMPANY CIN NO U60230MH2008PTC216143 MSME REGD NO 27222200461
Regd Off 5 B 34 Akshay Mittal Industrial Estate M V Road Andheri East Mumbai 400 059
Tel +91 22 4238 3904 05 06 07 Fax +91 22 42383945
Email mumbai@stopl.in Website www.stopl.in

******

23rd June, 2022

To,

The Hon'ble Civil Judge and Judicial Magistrate,
Court No. 35 - Civil Judge cum MM South,
District and Sessions Court Jaipur Metro,
Near, Sawai Jai Singh Circle, Bani Park,
Jaipur, Rajasthan 302 016

Subject: **DECREE obtained by petitioner Mr. Arun Choudhary by PRESENTING INCORRECT FACTS in Civil Suit bearing registration number 641/2020 (88/2020)**

Reference: **Notices/ Summons in the matter of Arun Choudhary Vs Supreme Airlines Pvt Ltd & Ors in Execution case #90/2022 (17/2022)**

Respected Lordship,

We seek your indulgent consideration on the subject aforementioned on behalf of **M/S Supreme Airlines Pvt Ltd, Captain Ammeet K Agarwal, Captain Akash Agarwal & Shri Milind Mahajan:**

With reference to the attached Notices/ Summons dated 28th April, 2022 bearing reference number 17/2022, asking us to appear in person on 2nd July, 2022 (***Attached as "Exhibit-1");*** we hereby would like to bring to your kind attention the following facts;

a. We M/S Supreme Transport Organisation Pvt Ltd (d.b.a. Supreme Airlines) were issued **Air Operator Permit (AOP) by Director General of Civil Aviation (DGCA) on 6th May, 2016** under the category Non-Scheduled operator with validity up to 5th May, 2018. ***Hereto annexed and marked as "Exhibit-2" is copy of Air Operator Permit #02/2016.***

b. We were carrying Non-Scheduled Flight Operations under an **Air Operations Agreement with Government of Rajasthan since 6th September, 2016**. ***Hereto annexed and marked as "Exhibit-3" is copy of Letter of Acceptance (LOA) dated 15th June, 2016.***

c. During the course of our operations, **the petitioner Mr. Arun Choudhary registered his firm M/S Travel Care as an agent** on our website https://supremeairlines.com/. All travel agents registered on our website

earned a commission of 6% on the amount deposited which was subsequently utilized to book flight tickets.

d. It is pertinent to note that the petitioner **Mr. Arun Choudhary was well versed with our website. He was aware that as per the Terms & Conditions** "**DEPOSITS MADE BY AGENTS ARE NON-REFUNDABLE**". ***Hereto annexed and marked as "Exhibit-4" is copy of Supreme Airlines-Terms & Conditions from the official website.***

e. However the **petitioner is collusion with our competitors started demanding illegitimate amount and threatened our Directors & Senior Management i.e. Captain Ammeet K Agarwal, Captain Akash Agarwal & Shri Milind Mahajan; that if his demands are not fulfilled, he shall go to any extent to harass and defame the organisation**. Still ***in order to maintain good harmony and peace, we, M/S Supreme Airlines in good faith on several occasions requested the petitioner to accept the genuine amount which can be refunded as a special case***. But the petitioner had no intention to settle the dispute and was only interested to harass the firm and its directors. ***The petitioner Mr. Arun Choudhary started blackmailing that if his demands are not fulfilled he shall lodge F.I.R. and file false cases and further defame the organisation***.

f. Since the illegitimate demand of the petitioner was not fulfilled **he filed a false F.I.R. bearing No. 0007/2019** that was registered with Police Station Vidhayakpuri, Jaipur City (South), Jaipur with sole intention to cause disrupt and defame our organization and its directors. **The Honourable High Court of Rajasthan, Jaipur Bench took cognizance of the matter and was made aware that FIR has been filed simply to harass and take revenge based on the directions of other third parties/ competitors**. ***The FIR was thus quashed vide order dated 17th January, 2020. Hereto annexed and marked as "Exhibit-5" is copy of order dated 17th January, 2020 for quashing of impugned FIR.***

g. **After the F.I.R. was quashed the petitioner Mr. Arun Choudhary moved a Civil Suit bearing registration number 641/2020 (88/2020)**. As soon as we were notified regarding the case we immediately wrote a letter dated 8th January, 2021 to the Hon'ble Civil Judge and Judicial Magistrate,

however the petitioner fraudulently obtained an ex-parte order by misrepresenting facts. ***Hereto annexed and marked as "Exhibit-6" is copy of letter dated 8th January, 2021.***

h. Vide order dated 7th August, 2021 a **Decree was passed in favour of the petitioner instructing the respondent to pay an amount of Rs. 50,000/- along with interest @12% p.a.** The present proceedings have been initiated for execution of the said decree. ***Hereto annexed and marked as "Exhibit-7" is copy of decree dated 7th August, 2021.***

i. We would like to inform this Hon'ble Court that the amount claimed by the petitioner is fabricated and the **petitioner is trying to extort money illegitimately**.

j. We would like to inform this Hon'ble Court that **M/S Supreme Transport Organisation Pvt Ltd (d.b.a. Supreme Airlines) has not closed its operation in the State of Rajasthan** but has temporarily halted the same owing to some technical issues. ***As soon as we resume operations, the petitioner Mr. Arun Choudhary can login to his account which is still active and can utilize the available balance to book flight tickets***.

k. **It is, therefore, humbly prayed that this Hon'ble Court may be pleased to accept this reply and execution proceedings of the decree dated 7th August, 2021 be quashed and set aside. If the decree is executed grave injustice will be caused.**

We have enclosed all the requisite supporting documents with this letter for your Lordship's perusal. We look forward to your support. Thanking You

For Supreme Transport Organisation Pvt Ltd

CC:-
Mr. Arun Chaudhary (Petitioner)
S/O Shri Mahendra Nath Chaudhary
Travel – Care, D-1, Ground Floor, Jaipur Tower,
Opp. Akashwani, M.I. Road, Jaipur 302 001

Captain Ammeet K Agarwal
Director, President & CEO

******

न्यायालयः— सिविल न्यायाधीश, दक्षिण, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारीः डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्र.सं.: 88/2020

1. अरूण चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह,
जरिए प्रोपराईटर : ट्रेवल्स केयर कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय—डी—1,
जयपुर टॉवर, आकाशवाणी क सामने, एम.आई. रोड, जयपुर(राजस्थान)

... **वादी**

—: <u>बनाम</u> :—

1. सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा0लि0 जरिए निदेशक :
पता— पंजीकृत कार्यालय—एस—बी—35—34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड, मुम्बई—400059 (महाराष्ट्र)।
2. केप्टन अमित कमल अग्रवाल, अध्यक्ष/सी.ओ.
ऑफिसल पताः— एस—बी—32—34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई—400059 (महाराष्ट्र)।
3. केप्टन आकाश कमल अग्रवाल, सी.ओ.
ऑफिसल पताः— एस—बी—32—34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी.रोड मुम्बई—400059 (महाराष्ट्र)।
घर का पता — 703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई—400059 (महाराष्ट्र)।
4. मिलीन महाजन, सी.ओ.
ऑफिसल पताः— एस—बी—32—34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी.रोड मुम्बई—400059 (महाराष्ट्र)।
घर का पता— 68, मनीष साकेत नगर, नीयर टाटा गेस्ट हाउस, इन्दौर—452018 (मध्यप्रदेश)।

....**प्रतिवादीगण**

<u>वाद बाबत् वसूली रूपये 57,667/—</u>

उपस्थित —

1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनाँकः 07.08.2021

1. इस प्रकरण में दिनांक 11.09.2020 को वादी अरूण चौधरी जरिए प्रोपराईटर ट्रेवल्स केयर कम्पनी की ओर से प्रतिवादीगण सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा0लि0 के विरूद्ध एक वाद बाबत् वसुली रूपये 57,667/— प्रस्तुत किया गया था। यह वाद पत्र कार्यालय जांच के बाद दिनांक 11.09.2020 को दीवानी मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

2. प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजूद तामील सम्मन न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध दिनांक 08.04.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी डी—1 जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड. जयपुर में ट्रेवल्स केयर कम्पनी के नाम से व्यवसाय करता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिए ई—मेल वादी को प्रतिवादी संख्या 1 में एजेन्ट बनने हेतु कहा, जिस पर वादी द्वारा जयपुर से समस्त औपचारिकताऐं व शुल्क जमा कर प्रतिवादी संख्या 1 की वेबसाईट पर पंजीकरण करवा लिया तथा टिकिटों की बिक्री का कार्य प्रारम्भ कर दिया। माह जुलाई 2018 से प्रतिवादीगण द्वारा उडाने/फ्लाईट राजस्थान में बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गई थी तथा वादी द्वारा उक्त समयावधि में टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति की गई। प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन देने पर वादी द्वारा 50,000/— रूपये ऑनलाईन जमा करवा गए। प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जुलाई, 2018 से राजस्थान में उडाने पूर्णतया बंद होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। वादी ने प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा कराई गई राशि अदा करने हेतु कई बार तकाजे किये। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वादी को मूल राशि एवं ब्याज की अदायगी नहीं की। वादी ने दिनांक 01.02.2020 को प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद प्रतिवादी ने उक्त बकाया रकम की अदायगी नहीं की। जिसकी डिक्री ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से व खर्चे सहित वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध पारित करने की प्रार्थना की गयी।

4. एकपक्षीय कार्यवाही में वादी की ओर से पी.ड.1 अरूण चौधरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में बैंक खाते का स्टेटमेंट प्रदर्श 1, नोटिस की प्रति प्रदर्श 2, असल पोस्टल रसीद प्रदर्श 3 लगायत 9, प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा राशि का कन्फर्म लेटर प्रदर्श 10 को प्रदर्शित करवाये गये।

5. वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार हैः—

- ''आया प्रतिवादीगण ने वादी को वादपत्र की मद संख्या 5 में वर्णितानुसार टिकटें बुक की''
- ''आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी से उक्त बुक की गई टिकटों के बदले राशि अदा नहीं की, जिस हेतु वादी, प्रतिवादीगण से रूपये 50,000/– मूल राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है ?'
- अनुतोष।

6. इस संबंध में गवाह पी.ड.1 वादी डी–1 जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड. जयपुर में ट्रेवल्स केयर कम्पनी के नाम से व्यवसाय करता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिए ई–मेल वादी को प्रतिवादी संख्या 1 में एजेन्ट बनने हेतु कहा, जिस पर वादी द्वारा जयपुर से समस्त औपचारिकताऐं व शुल्क जमा कर प्रतिवादी संख्या 1 की वेबसाईट पर पंजीकरण करवा लिया तथा टिकिटों की बिक्री का कार्य प्रारम्भ कर दिया। माह जुलाई 2018 से प्रतिवादीगण द्वारा उडाने/फ्लाईट राजस्थान में बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गई थी तथा वादी द्वारा उक्त समयावधि में टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति की गई। प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन देने पर वादी द्वारा 50,000/– रूपये ऑनलाईन जमा करवा गए। प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जुलाई, 2018 से राजस्थान में उडाने पूर्णतया बंद होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। वादी ने प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा कराई गई राशि अदा करने हेतु कई बार तकाजे किये। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वादी को मूल राशि एवं ब्याज की अदायगी नहीं की। वादी ने दिनांक 01.02.2020 को प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद प्रतिवादी ने उक्त बकाया रकम की अदायगी नहीं की। गवाह पीडबल्यू–1 ने आगे कथन किया है कि वादी के बैंक खाते का स्टेटमेंट प्रदर्श 1, नोटिस की प्रति प्रदर्श 2, असल पोस्टल रसीद प्रदर्श 3 लगायत 9, प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा राशि का कन्फर्म लेटर प्रदर्श 10 को प्रदर्शित करवाये गये। वाद प्रस्तुतीकरण के दिन प्रतिवादी में कुल रूपये 57,667/– बकाया थे। इसके पश्चात् प्रतिवादी ने उक्त बकाया भुगतान पेटे कोई अदायगी नहीं की है।

7. उक्त संबंध में वादी की एकपक्षीय अखण्डित साक्ष्य का समर्थन उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से होता है जिसे अविश्वसनीय मानने का कोई सुदृढ कारण पत्रावली पर विद्यमान नही होना पाया जाता है। अतः साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादीगण की फर्म में टिकटों की बुकिंग हेतु एजेन्ट के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में रूपये जमा करवाए थे, जिसका भुगतान प्रतिवादीगण द्वारा वादी फर्म को नहीं किया गया है तथा उसके पश्चात् वादी ने प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त बकाया राशि 50,000/–रूपये पेटे कोई अदायगी नहीं की है। जिससे दावा–दायरी तक प्रतिवादीगण के जिम्मे कुल रूपये 50,000/– वाजिब बकाया होना साक्ष्य वादी से बखूबी साबित है, जो वादी प्रतिवादी से ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार वाद, वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध सव्यय डिक्री किये जाने योग्य है तथा मेरे विनम्र मत में बाजार में वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर के मद्देनजर वादी को उक्त बकाया मूल राशि 50,000/– रूपये पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है।

आदेश

9. परिणामतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत् वसूली विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है किः–

1. वादी, प्रतिवादी से 50,000/–रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. वादी, प्रतिवादी से दावा दायरी से तावसूली तक मूल रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा।

तदानुसार डिक्री पर्चा नियमानुसार मुर्तिब हो।

(डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा)
सिविल न्यायाधीश दक्षिण
जयपुर महानगर प्रथम

10. निर्णय आज दिनांक 07.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा)
सिविल न्यायाधीश दक्षिण
जयपुर महानगर प्रथम

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट

([illegible]) जयपुर महानगर (प्रथम), जयपुर।

दीवानी वाद संख्या ..../2020

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम 1 जाब्ता दीवानी

अरूण चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह, जरिए प्रोपराईटर ट्रेवल्स केयर कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय–डी–1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान)।

..........वादी

बनाम

सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. जरिए निदेशक :

पता–पंजीकृत कार्यालय–एस–बी–32–34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

केप्टन अमित कमल अग्रवाल, अध्यक्ष / सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

केप्टन आकाश कमल अग्रवाल, सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

4\. मिलीन महाजन, सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–68, मनीष साकेत नगर, नीयर टाटा गेस्ट हाउस, इन्दौर–452018 (मध्यप्रदेश)।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत् वसूली

महोदय,

वादी की ओर से वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1– यह कि वादी घरेलू व अन्तराष्ट्रीय एयर टिकिट का कार्य D–1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान) पर ट्रेवल केयर कम्पनी के द्वारा करता है, जिसका वादी प्रोपराईटर है।

2– यह कि प्रतिवादी संख्या–1 सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. जिसका कि पंजीकृत कार्यालय–एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र) पर स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या–2 ता 4 निर्देशक व सी.ओ. है।

3– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा करीब लगभग 4 साल पूर्व में राजस्थान में अपनी सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. के नाम से अपनी फ्लाईट शुरू की तथा प्रतिवादी नम्बर–3 ने जरिए ई–मेल वादी से जयपुर

में सम्पर्क कर प्रतिवादी नम्बर–1 कम्पनी सुप्रीम एयर लाईन्स के टिकिटों की बुकिंग हेतु अधिकृत एजेन्ट बनने हेतु कहा। जिस पर वादी ने अपने व्यवसाय स्थल जयपुर से प्रतिवादीगण पर विश्वास कर प्रतिवादी नम्बर–1 की वेबसाईड पर जाकर एजेन्ट बनने हेतु पंजीकरण करवा लिया तथा इसके सम्बन्ध में होने वाली समस्त औपचारिकताऐं भी जयपुर से पुरी कर ली तथा प्रतिवादीगण के कहेअनुसार एजेन्ट बनने के शुल्क भी प्रतिवादीगण के अकाउण्ट में जयपुर से जमा करा दिया तथा प्रतिवादी नम्बर–1 की टिकिटों की बिक्री कार्य वादी ने प्रारम्भ कर दिया।

4– यह कि प्रतिवादीगण ने माह जुलाई, 2018 से बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त सुप्रीम एयर लाईन्स की उडाने/फ्लाईट राजस्थान में चलानी बन्द कर दी। वादी द्वारा इस बाबत् कोई जानकारी नहीं दिये जाने के बाबत् टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति चालू रखी तथा वादी द्वारा जयपुर से सम्पर्क किये जाने पर प्रतिवादीगण ने एक–दो दिन में फ्लाईट व उडाने राजस्थान में चालू करने का आश्वासन दिया। जिस पर विश्वास करते हुये वादी ने दिनांक 30/07/2018 को प्रतिवादी नम्बर–1 के अकाउण्ट में 50,000/– रुपये भी जयपुर से ऑनलाईन जमा करवा दिये। लेकिन उसके पश्चात् भी प्रतिवादी नम्बर–1 की

उडाने राजस्थान में प्रारम्भ नहीं की, जिस पर वादी द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जयपुर में यह जानकारी दी गई कि राजस्थान में प्रतिवादी नम्बर–1 की उडाने पूर्णतया माह जुलाई, 2018 से ही बन्द कर दी गई है। जिस पर वादी को जानकारी होने पर बहुत आघात लगा तथा वादी के द्वारा की गई टिकिटों की बुकिंग की राशि वापिस वादी के ग्राहकों को लौटानी पडी तथा जिस कारण से वादी की विश्वसनियता में उनके ग्राहकों के नजर में खराब हुई। इसके अलावा वादी के द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते में जमा राशि भी बार–बार मांगने पर प्रतिवादीगण ने वापिस नहीं की, बल्कि झूंठे आश्वासन देते रहे। इस प्रकार प्रतिवादीगण के जिम्मे वादी की 57,667/– रूपये की राशि बकाया निकलता है, जो कि आज तक वादी को नहीं लौटाया गया है, जो कि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5– यह कि वादी ने प्रतिवादीगण के यहां जमा राशि 57,667/– रूपये दिनांक 30/07/2018 से मय ब्याज प्राप्त करने हेतु नोटिस दिनांक 01/02/2020 को जयपुर से प्रेषित किया, जो कि उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त होने के पश्चात् भी ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही वादी की जमा राशि मय

ब्याज ही अदा की। इस कारण से वादी को उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

6— यह कि वादी फर्म को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण विधिक नोटिस दिनांक 01/02/2020 को जयपुर से देने एवं नोटिस में वर्णित अवधि गुजर जाने के बाद उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

7— यह कि वादी का व्यवसायिक स्थल D—1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर विद्यायकपुरी थाने क्षेत्र में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद सुनकर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8— यह कि वाद का मूल्यांकन 57667/— रूपये वसूली राशि 57,667/— रूपये (अक्षरे सतावन हजार छः सौ सडसठ रूपये) जिस पर न्याय शुल्क 3580/— रूपये पर प्रस्तुत है।

9— यह कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जायें।

(क) यह कि वादी को प्रतिवादीगण से प्रतिवादीगण के यहां जमा राशि 57,667/— रूपये (अक्षरे सतावन हजार छः सौ सडसठ रूपये) दिलायी जायें

(ख) यह कि वादी को डिकी की राशि पर वाद दायर करने की दिनांक से राशि की वसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जायें।

(ग) यह कि वादी को खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलाया जायें।

(घ) यह वादी को अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, दिलाया जायें।

वादी

जयपुर।

दिनांक : 9/9/2020

(अरूण चौधरी)

जरिए प्रोपराईटर : ट्रेवल्स केयर कम्पनी

सत्यापन

मैं, **अरूण चौधरी** उपरोक्त वादी सशपथ सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र में लिखे समस्त तथ्य मद संख्या–01 लगायत 09 मेरी निजी जानकारी व कानूनी सलाह के आधार पर सही व सत्य है। जिसके सत्य होने की पुष्टि मैं एतद् द्वारा करता हूँ। ईश्वर मेरा साक्षी है।

जयपुर।

सत्यापनकर्ता

दिनांक: 9/9/2020

(अरूण चौधरी)

(2)

gnment
ired field
umber

Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
/12/2020 :02:41	400059	28.00	Registered Letter	J.B. Nagar S.O	26/12/2020 17:24:09

For : RR292701135IN

s : Item Delivery Confirmed

ime	Office	Event
24:09	J.B. Nagar S.O	Item Delivery Confirmed
19:04	J.B. Nagar S.O(Beat Number:11)	Item Delivered [To: SANGEETA(Addressee)]
:1:21	J.B. Nagar S.O	Out for Delivery
18:20	J.B. Nagar S.O	Item Received
1:08	Mumbai A Zone	Item Dispatched
:07	Mumbai A Zone	Item Received
:50	Mumbai CRC L1R	Item Dispatched
:17	Mumbai CRC L1R	Item Bagged
3:20	Mumbai CRC L1R	Item Received
5:04	Mumbai Ap Inland TMO	Item Dispatched
1:14	Mumbai Ap Inland TMO	Item Received
2:44	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
:05	Jaipur CRC L1R	Item Received
:53	Jaipur G.P.O.	Item Dispatched
:26	Jaipur G.P.O.	Item Bagged
:11	Jaipur G.P.O.	Item Booked

(5)

…nsignment
…equired field.
…Number
…701121

…ked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
…pur …P.O	21/12/2020 16:02:41	452018	28.00	Registered Letter	Indore Tillaknagar S.O	29/12/2020 16:25:57

…vent Details For : RR292701121IN
Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
29/12/2020	16:25:57	Indore Tillaknagar S.O	Item Delivery Confirmed
29/12/2020	11:51:45	Indore Tillaknagar S.O	Out for Delivery
29/12/2020	11:13:31	Indore Tillaknagar S.O	Item Received
29/12/2020	04:33:30	INDORE TMO	Item Dispatched
29/12/2020	01:47:25	INDORE TMO	Item Received
[illegible]/12/2020	14:30:22	Indore CRC L1R	Item Dispatched
28/12/[illegible]	[illegible]:06:07	Indore CRC L1R	Item Bagged
28/12/2020	[illegible]15	Indore CRC L1R	Item Received
26/12/2020	[illegible]:09	INDORE TMO	Item Dispatched
26/12/2020	18:54:17	INDORE TMO	Item Received
23/12/2020	01:39:27	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
22/12/2020	17:06:15	Jaipur CRC L1R	Item Received
22/12/2020	13:47:08	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
22/12/2020	07:34:05	Jaipur CRC L1R	Item Received
21/12/2020	18:23:53	Jaipur G.P.O.	Item Dispatched
21/12/2020	16:22:26	Jaipur G.P.O.	Item Bagged
21/12/2020	16:02:41	Jaipur G.P.O.	Item Booked

14

...signment
...uired field
...Number
...35

...ed At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
...ur ...O.	21/12/2020 16:02:41	400059	28.00	Registered Letter	J.B. Nagar S.O	26/12/2020 17:24:09

...ent Details For : RR292701135IN

...urrent Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
26/12/2020	17:24:09	J.B. Nagar S.O	Item Delivery Confirmed
26/12/2020	16:19:04	J.B. Nagar S.O(Beat Number:11)	Item Delivered [To: SANGEETA(Addressee)]
26/12/2020	11:51:21	J.B. Nagar S.O	Out for Delivery
26/12/2020	08:18:20	J.B. Nagar S.O	Item Received
25/12/2020	05:41:08	Mumbai A Zone	Item Dispatched
2[illegible]/12/2020	05:[illegible]4:07	Mumbai A Zone	Item Received
25/12/2020	04:[illegible]1:50	Mumbai CRC L1R	Item Dispatched
25/12/2020	02:[illegible]0:17	Mumbai CRC L1R	Item Bagged
24/12/2020	20:13:20	Mumbai CRC L1R	Item Received
24/12/2020	09:25:04	Mumbai Ap Inland TMO	Item Dispatched
24/12/2020	09:01:14	Mumbai Ap Inland TMO	Item Received
22/12/2020	11:32:44	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
22/12/2020	07:34:05	Jaipur CRC L1R	Item Received
21/12/2020	18:23:53	Jaipur G.P.O.	Item Dispatched
21/12/2020	16:22:26	Jaipur G.P.O.	Item Bagged
21/12/2020	16:02:41	Jaipur G.P.O.	Item Booked

From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
[illegible] <Wear Masks, Stay Safe

भारतीय डाक

RR292701135IN IVR:828229270113
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:MILIN MAHAJAN,MUMBAI
PIN:400059, J.B. Nagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe

RR292701268IN IVR:828229270126
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:AMIT KAMAL ,MUMBAI
PIN:400059, J.B. Nagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe

भारतीय डाक

RR292701360IN IVR:828229270136
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:SUPRIME AIRE ,MUMBAI
PIN:400059, J.B. Nagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
[illegible] <Wear Masks, Stay Safe

RR292701121IN IVR:[illegible]
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:MILIN MAHAJAN,INDORE
PIN:452018, Indore Tilaknagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:28.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe

RR292701254IN IVR:828229270125
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:AMIT KAMAL AGARWAL,MUMBAI
PIN:400059, J.B. Nagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe

भारतीय डाक

RR292701373IN IVR:828229270137
RL JAIPUR G.P.O. <302001>
Counter No:4,21/12/2020,16:04
To:AKASH KAMAL AGARWAL,MUMBAI
PIN:400059, J.B. Nagar S.O
From:NAYALYA CIV,JAIPUR
Wt:20gms
Amt:3.00(Cash)PS:25.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe

15/2/21

आदेश वादी उपस्थित। वादी की ओर से पेश नहीं। प्रतिवादी की रजिस्ट्री रसीद पेश ... तामील ... पत्रावली वास्ते इंतजार तामील पेश हो। दि० 15/03/21 को पेश हो। (साहब अवकाश पर हैं)

15/3/21

आदेश वादी उपस्थित। ऑनलाइन ट्रैकिंग पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट पेश हो। तामील हेतु दि० 8/4/21 को पेश हो।

8/4/21

आदेश वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील वादी की ओर से रजिस्ट्री रसीद व online की ट्रैकिंग Report वादी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तामील पर्याप्त मानी जाती है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को समय 1:00 pm, 3:00 pm व 4:00 pm पर बार-बार आवाज लगाई गई। अतः प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते पेश होवे साक्ष्य एकपक्षीय हेतु दि० 8/06/21 को पेश हो।

डॉ० सिद्धार्थ शंकर शर्मा
सिविल ...

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर - 3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल न्यायाधीश (पश्चिम) महानगर स्थान जयपुर (राज.)

दमयंती चौधरी .... विरुद्ध सुधीर एण्ड कम्पनी

वाद बाबत .... वसूली

वाद सं0 641/2020 सन् 2020

2. E. 597 19/12/20

बनाम मैनेजर अमित श्रीवास्तव सुपुत्र अज्ञात जाति ... बालिग

स्थान प्लाट न. 703 श्याम बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, जैनी नगर, अंधेरी वेस्ट मुम्बई - 400059 (महा.)

वादी ने आपके विरुद्ध .... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 11 माह 01 सन् 2021 को दिन में 10 A.M. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 19 माह 12 सन् 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

प्रस्तुतकार

न्यायाधीश

सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर - प्रथम

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

शपथ सूचना

(आदेश 5 का नियम 18)

आदेशिका तामीलकर्ता के शपथ-पत्र को समन या सूचना की विवरणी के साथ भेजा जायगा।

नाम .... पुत्र .... का शपथ पत्र

मैं .... शपथ लेता हूँ/प्रतिज्ञा करता हूँ और यह शपथ करता हूँ कि:–

1– मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामीलकर्ता हूँ।

2– .... के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के .... के .... संख्यांक वाले भाग निकाला गया/निकाली गई तारीख ....

का समन की सूचना .... पत्र तारीख के लिये मुझे ता0 .... को प्राप्त हुआ था/हुई थी।

3– उक्त .... को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन सूचना की तामील उस पर तारीख .... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी प्रति उसको निविदत्त करके और/सूचना कर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके, की थी।

क–

ख–

(क) यहां यह लिखें कि क्या उक्त व्यक्ति ने जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4– उक्त .... को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता था इसलिए .... मेरे साथ .... को ले गया और उसने मुझे एक व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में उसने बतलाया कि वह उक्त .... है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामील उस पर तारीख .... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक प्रति उसको निविदत्त करके और समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके, की थी।

क–

ख–

(क) यहां यह लिखें कि क्या उक्त व्यक्ति ने जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5– उक्त .... को और उस गृह को जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और .... में मैं उक्त गृह पर गया और वहां तारीख .... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में मैंने उक्त .... को नहीं पाया।

क–

ख–

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 के नियम 15 और 17 के यदि विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखित

अथवा

6– एक व्यक्ति .... मेरे साथ .... तक गया और मुझे वहां .... दिखलाया जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें .... मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त .... को वहां नहीं पाया।

(क)

(ख)

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखित

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

यदि प्रतिस्थापित तामील के लिये आदेश दिया गया है तो जिस रीति से सम्मन की तामील की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामील के लिये आदेश के निबन्धनों के प्रति विशेष निर्देश से और यथावत् लिखित

ता0 .... को उक्त .... ने मेरे समक्ष शपथ ली/प्रतिज्ञान किया।

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर - 3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल महानगर मजि. (दक्षिण) महानगर जयपुर (प्रथम) स्थान

हेमन्त चौधरी .... सुधीर एवं महेश्वरी .... विरुद्ध ....

क्रमांक 597 / 19/12/20

वाद बाबत वसूली

वाद सं0 64/2020 सन् ....

अभिनव कुमार अग्रवाल, ...

बनाम .... पुत्र .... जाति ....

पता- 703, ... अपार्टमेन्ट, एम.वी. रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई - 400059 (महा.)

स्थान ....

वादी ने आपके विरुद्ध .... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 11 माह 01 सन् 2021 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 19 माह 12 सन् 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

प्रस्तुतकार

सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (दक्षिण) जयपुर महानगर-प्रथम

न्यायाधीश

---

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

शपथ सूचना

(आदेश 5 का नियम 18)

आदेशिका तामीलकर्ता के शपथ-पत्र को समन या सूचना की विवरणी के साथ भेजा जायगा।

नाम .... पुत्र .... का शपथ पत्र

मैं .... शपथ लेता हूँ/प्रतिज्ञा करता हूँ और यह शपथ करता हूँ कि:-

1- मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामीलकर्ता हूँ।

2- .... के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के .... के .... संख्यांक वाले भाग

निकाला गया/निकाली गई तारीख ....

का समन की सूचना .... पत्र तारीख के लिये मुझे ता0 .... को प्राप्त हुआ था/हुई थी।

3- उक्त .... को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन सूचना की तामील उस पर तारीख

.... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी प्रति उसको निविदत्त करके और/सूचना

कर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके, की थी।

क-

ख-

(क) यहां यह लिखें कि क्या उक्त व्यक्ति ने जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4- उक्त .... को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता था इसलिए ....

मेरे साथ .... को ले गया और उसने मुझे एक व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में उसने बतलाया कि वह उक्त ....

.... है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामील उस पर तारीख .... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह

मैं उसकी एक प्रति उसको निविदत्त करके और समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके, की थी।

क-

ख-

(क) यहां यह लिखें कि क्या उक्त व्यक्ति ने जिस पर तामील की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5- उक्त .... को और उस गृह को जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है मैं वैयक्तिक रूप से जानता

हूँ और .... में मैं उक्त गृह पर गया और वहां तारीख .... को लगभग .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह

में मैंने उक्त .... को नहीं पाया।

क-

ख-

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 के नियम 15 और 17 के यदि विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखित

अथवा

6- एक व्यक्ति .... मेरे साथ .... तक गया और मुझे वहां .... दिखलाया जिसके बारे में उसने कहा कि यह

वही गृह है जिसमें .... मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त .... को वहां नहीं पाया।

(क)

(ख)

(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत् लिखित

(ख) आदेशिका तामीलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

यदि प्रतिस्थापित तामील के लिये आदेश दिया गया है तो जिस रीति से सम्मन की तामील की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामील के लिये आदेश के निबन्धनों के प्रति विशेष निर्देश से और यथावत् लिखित

ता0 .... को उक्त .... ने मेरे समक्ष शपथ ली/प्रतिज्ञान किया।

STOP X/05.
सुप्रीम हवाई – बन्द
सुप्रीम एयरलाइन्स
30/4/2018
31/10/2018

न्यायालयः– सिविल न्यायाधीश, दक्षिण, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारीः डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्र.सं.: 88/2020

1. अरूण चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह,
   जरिए प्रोपराईटर : ट्रेवल्स केयर कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय–डी–1,
   जयपुर टॉवर, आकाशवाणी क सामने, एम.आई. रोड, जयपुर(राजस्थान)

... **वादी**

–: बनाम :–

1. सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा0लि0 जरिए निदेशक :
   पता– पंजीकृत कार्यालय–एस–बी–35–34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड,. मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।
2. केप्टन अमित कमल अग्रवाल, अध्यक्ष/सी.ओ.
   ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।
3. केप्टन आकाश कमल अग्रवाल, सी.ओ.
   ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी.रोड मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।
   घर का पता – 703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।
4. मिलीन महाजन, सी.ओ.
   ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्डस्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी.रोड मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।
   घर का पता– 68, मनीष साकेत नगर, नीयर टाटा गेस्ट हाउस, इन्दौर–452018 (मध्यप्रदेश)।

....**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत वसूली रूपये 57,667/–

उपस्थित –

1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

की अप्रार्थी संख्या–1 वादी की ओर से दिनांक 14/09/2022 को प्रार्थी/प्रतिवादी के मोबाईल पर वारंट कुर्की माल मनकूला की फोटो प्रेषित

निर्णय

दिनाँकः 07.08.2021

1. इस प्रकरण में दिनांक 11.09.2020 को वादी अरूण चौधरी जरिए प्रोपराईटर ट्रेवल्स केयर कम्पनी की ओर से प्रतिवादीगण सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा0लि0 के विरूद्ध एक वाद बाबत् वसुली रूपये 57,667/– प्रस्तुत किया गया था। यह वाद पत्र कार्यालय जांच के बाद दिनांक 11.09.2020 को दीवानी मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

2. प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजूद तामील सम्मन न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध दिनांक 08.04.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी डी–1 जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर में ट्रेवल्स केयर कम्पनी के नाम से व्यवसाय करता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिए ई–मेल वादी को प्रतिवादी संख्या 1 में एजेन्ट बनने हेतु कहा, जिस पर वादी द्वारा जयपुर से समस्त औपचारिकताऐं व शुल्क जमा कर प्रतिवादी संख्या 1 की वेबसाईट पर पंजीकरण करवा लिया तथा टिकिटों की बिकी का कार्य प्रारम्भ कर दिया। माह जुलाई 2018 से प्रतिवादीगण द्वारा उडाने/फ्लाईट राजस्थान में बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गई थी तथा वादी द्वारा उक्त समयावधि में टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति की गई। प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन देने पर वादी द्वारा 50,000/– रूपये ऑनलाईन जमा करवा गए। प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जुलाई, 2018 से राजस्थान में उडाने पूर्णतया बंद होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। वादी ने प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा कराई गई राशि अदा करने हेतु कई बार तकाजे किये। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वादी को मूल राशि एवं ब्याज की अदायगी नहीं की। वादी ने दिनांक 01.02.2020 को प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद प्रतिवादी ने उक्त बकाया रकम की अदायगी नहीं की। जिसकी डिकी ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से व खर्चे सहित वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध पारित करने की प्रार्थना की गयी।

4. एकपक्षीय कार्यवाही में वादी की ओर से पी.ड.1 अरूण चौधरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में बैंक खाते का स्टेटमेंट प्रदर्श 1, नोटिस की प्रति प्रदर्श 2, असल पोस्टल रसीद प्रदर्श 3 लगायत 9, प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा राशि का कन्फर्म लेटर प्रदर्श 10 को प्रदर्शित करवाये गये।

5. वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार हैः–

की अप्रार्थी संख्या–1 वादी की ओर से दिनांक 14/09/2022 को प्रार्थी/प्रतिवादी के मोबाईल पर वारंट कुर्की माल मनकूला की फोटो प्रेषित

- "आया प्रतिवादीगण ने वादी को वादपत्र की मद संख्या 5 में वर्णितानुसार टिकटें बुक की"
- "आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी से उक्त बुक की गई टिकटों के बदले राशि अदा नहीं की, जिस हेतु वादी, प्रतिवादीगण से रूपये 50,000/- मूल राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है ?"
- अनुतोष।

6. इस संबंध में गवाह पी.ड.1 वादी डी-1 जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड. जयपुर में ट्रेवल्स केयर कम्पनी के नाम से व्यवसाय करता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिए ई-मेल वादी को प्रतिवादी संख्या 1 में एजेन्ट बनने हेतु कहा, जिस पर वादी द्वारा जयपुर से समस्त औपचारिकताऐं व शुल्क जमा कर प्रतिवादी संख्या 1 की वेबसाईट पर पंजीकरण करवा लिया तथा टिकिटों की बिक्री का कार्य प्रारम्भ कर दिया। माह जुलाई 2018 से प्रतिवादीगण द्वारा उडाने/फ्लाईट राजस्थान में बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गई थी तथा वादी द्वारा उक्त समयावधि में टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति की गई। प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन देने पर वादी द्वारा 50,000/- रूपये ऑनलाईन जमा करवा गए। प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जुलाई, 2018 से राजस्थान में उडाने पूर्णतया बंद होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। वादी ने प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा कराई गई राशि अदा करने हेतु कई बार तकाजे किये। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वादी को मूल राशि एवं ब्याज की अदायगी नहीं की। वादी ने दिनांक 01.02.2020 को प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद प्रतिवादी ने उक्त बकाया रकम की अदायगी नहीं की। गवाह पीडबल्यू-1 ने आगे कथन किया है कि वादी के बैंक खाते का स्टेटमेंट प्रदर्श 1, नोटिस की प्रति प्रदर्श 2, असल पोस्टल रसीद प्रदर्श 3 लगायत 9, प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में जमा राशि का कन्फर्म लेटर प्रदर्श 10 को प्रदर्शित करवाये गये। वाद प्रस्तुतीकरण के दिन प्रतिवादी में कुल रूपये 57,667/- बकाया थे। इसके पश्चात् प्रतिवादी ने उक्त बकाया भुगतान पेटे कोई अदायगी नहीं की है।

7. उक्त संबंध में वादी की एकपक्षीय अखण्डित साक्ष्य का समर्थन उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से होता है जिसे अविश्वसनीय मानने का कोई सुदृढ कारण पत्रावली पर विद्यमान नही होना पाया जाता है। अतः साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादीगण की फर्म में टिकटों की बुकिंग हेतु एजेन्ट के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में रूपये जमा करवाए थे, जिसका भुगतान प्रतिवादीगण द्वारा वादी फर्म को नहीं किया गया है तथा उसके पश्चात् वादी ने प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित करवाया, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त बकाया राशि 50,000/-रूपये पेटे कोई अदायगी नहीं की है। जिससे दावा-दायरी तक प्रतिवादीगण के जिम्मे कुल रूपये 50,000/- वाजिब बकाया होना साक्ष्य वादी से बखूबी साबित है, जो वादी प्रतिवादी से ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

की अप्रार्थी संख्या-1 वादी की ओर से दिनांक 14/09/2022 को

प्रार्थी/प्रतिवादी के मोबाईल पर वारंट कुर्की माल मनकूला की फोटो प्रेषित

8. उपरोक्त विवेचनानुसार वाद, वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध सव्यय डिक्री किये जाने योग्य है तथा मेरे विनम्र मत में बाजार में वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर के मद्देनजर वादी को उक्त बकाया मूल राशि 50,000/– रूपये पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है।

आदेश

9. परिणामतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत् वसूली विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है किः–

1. वादी, प्रतिवादी से 50,000/–रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. वादी, प्रतिवादी से दावा दायरी से तावसूली तक मूल रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा।

तदानुसार डिक्री पर्चा नियमानुसार मुर्तिब हो।

(डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा)
सिविल न्यायाधीश दक्षिण
जयपुर महानगर प्रथम

10. निर्णय आज दिनांक 07.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा)
सिविल न्यायाधीश दक्षिण
जयपुर महानगर प्रथम

7

एक रुपया ONE RUPEE INDIA

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट

(दक्षिण) जयपुर महानगर (प्रथम), जयपुर।

दीवानी वाद संख्या–........../2020

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–1 जाब्ता दीवानी

अरूण चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह, जरिए प्रोपराईटर : ट्रेवल्स केयर कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय–डी–1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान)।

..........वादी

बनाम

1. सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. जरिए निदेशक :

पता–पंजीकृत कार्यालय–एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

2. केप्टन अमित कमल अग्रवाल, अध्यक्ष/सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

3. केप्टन आकाश कमल अग्रवाल, सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–703, शंकर मिस्ट्रीक कॉम्पलेक्स, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

4. मिलीन महाजन, सी.ओ.

ऑफिसल पताः– एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र)।

घर का पता–68, मनीष साकेत नगर, नीयर टाटा गेस्ट हाउस, इन्दौर–452018 (मध्यप्रदेश)।

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत् वसूली

महोदय,

वादी की ओर से वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1– यह कि वादी घरेलू व अन्तराष्ट्रीय एयर टिकिट का कार्य D–1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान) पर ट्रेवल केयर कम्पनी के द्वारा करता है, जिसका वादी प्रोपराईटर है।

2– यह कि प्रतिवादी संख्या–1 सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. जिसका कि पंजीकृत कार्यालय–एस–बी–32–34, अक्षत इण्स्ट्रीज, मित्तल स्टेट, अंधेरी पूर्व, एम.वी. रोड़, मुम्बई–400059 (महाराष्ट्र) पर स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या–2 ता 4 निर्देशक व सी.ओ. है।

3– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा करीब लगभग 4 साल पूर्व में राजस्थान में अपनी सुप्रीम एयर लाईन्स प्रा.लि. के नाम से अपनी फ्लाईट शुरू की तथा प्रतिवादी नम्बर–3 ने जरिए ई–मेल वादी से जयपुर

प्रतिलिपिक
... शाखा
... आई.एक्ट कोर्ट)
... न्यायालय
... नगर प्रथम

में सम्पर्क कर प्रतिवादी नम्बर–1 कम्पनी सुप्रीम एयर लाईन्स के टिकिटों की बुकिंग हेतु अधिकृत एजेन्ट बनने हेतु कहा। जिस पर वादी ने अपने व्यवसाय स्थल जयपुर से प्रतिवादीगण पर विश्वास कर प्रतिवादी नम्बर–1 की वेबसाईड पर जाकर एजेन्ट बनने हेतु पंजीकरण करवा लिया तथा इसके सम्बन्ध में होने वाली समस्त औपचारिकताऐं भी जयपुर से पुरी कर ली तथा प्रतिवादीगण के कहेअनुसार एजेन्ट बनने के शुल्क भी प्रतिवादीगण के अकाउण्ट में जयपुर से जमा करा दिया तथा प्रतिवादी नम्बर–1 की टिकिटों की बिक्री कार्य वादी ने प्रारम्भ कर दिया।

4– यह कि प्रतिवादीगण ने माह जुलाई, 2018 से बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त सुप्रीम एयर लाईन्स की उडाने/फ्लाईट राजस्थान में चलानी बन्द कर दी। वादी द्वारा इस बाबत् कोई जानकारी नहीं दिये जाने के बाबत् टिकिटों की बुकिंग पूर्व की भांति चालू रखी तथा वादी द्वारा जयपुर से सम्पर्क किये जाने पर प्रतिवादीगण ने एक–दो दिन में फ्लाईट व उडाने राजस्थान में चालू करने का आश्वासन दिया। जिस पर विश्वास करते हुये वादी ने दिनांक 30/07/2018 को प्रतिवादी नम्बर–1 के अकाउण्ट में 50,000/– रूपये भी जयपुर से ऑनलाईन जमा करवा दिये। लेकिन उसके पश्चात् भी प्रतिवादी नम्बर–1 की

उडाने राजस्थान में प्रारम्भ नहीं की, जिस पर वादी द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादी को जयपुर में यह जानकारी दी गई कि राजस्थान में प्रतिवादी नम्बर–1 की उडाने पूर्णतया माह जुलाई, 2018 से ही बन्द कर दी गई है। जिस पर वादी को जानकारी होने पर बहुत आघात लगा तथा वादी के द्वारा की गई टिकिटों की बुकिंग की राशि वापिस वादी के ग्राहकों को लौटानी पडी तथा जिस कारण से वादी की विश्वसनियता में उनके ग्राहकों के नजर में खराव हुई। इसके अलावा वादी के द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते में जमा राशि भी वार–वार मांगने पर प्रतिवादीगण ने वापिस नहीं की, वल्कि झूंठे आश्वासन देते रहे। इस प्रकार प्रतिवादीगण के जिम्मे वादी की 57,667/– रूपये की राशि बकाया निकलता है, जो कि आज तक वादी को नहीं लौटाया गया है, जो कि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5– यह कि वादी ने प्रतिवादीगण के यहां जमा राशि 57,667/- रूपये दिनांक 30/07/2018 से मय ब्याज प्राप्त करने हेतु नोटिस दिनांक 01/02/2020 को जयपुर से प्रेषित किया, जो कि उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त होने के पश्चात् भी ना तो नोटिस का जवाव दिया और ना ही वादी की जमा राशि मय

ब्याज ही अदा की। इस कारण से वादी को उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

6– यह कि वादी फर्म को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण विधिक नोटिस दिनांक 01/02/2020 को जयपुर से देने एवं नोटिस में वर्णित अवधि गुजर जाने के बाद उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

7– यह कि वादी का व्यवसायिक स्थल D–1, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर विधायकपुरी थाने क्षेत्र में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद सुनकर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8– यह कि वाद का मूल्यांकन ५७६६७/– रूपये वसूली राशि 57,667/– रूपये (अक्षरे सतावन हजार छः सौ सडसठ रूपये) जिस पर न्याय शुल्क ३५८०/– रूपये पर प्रस्तुत है।

9– यह कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जायें।

(क) यह कि वादी को प्रतिवादीगण से प्रतिवादीगण के यहां जमा राशि 57,667/– रूपये (अक्षरे सतावन हजार छः सौ सडसठ रूपये) दिलायी जायें

3/9

(ख) यह कि वादी को डिक्री की राशि पर वाद दायर करने की दिनांक से राशि की वसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जायें।

(ग) यह कि वादी को खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलाया जायें।

(घ) यह वादी को अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, दिलाया जायें।

जयपुर। वादी

दिनांक : 9/9/2020

(अरूण चौधरी)

जरिए प्रोपराईटर : ट्रेवल्स केयर कम्पनी

सत्यापन

मैं, **अरूण चौधरी** उपरोक्त वादी सशपथ सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र में लिखे समस्त तथ्य मद संख्या–01 लगायत 09 मेरी निजी जानकारी व कानूनी सलाह के आधार पर सही व सत्य है। जिसके सत्य होने की पुष्टि मैं एतद् द्वारा करता हूँ। ईश्वर मेरा साक्षी है।

जयपुर। सत्यापनकर्ता

दिनांक: 9/9/2020

(अरूण चौधरी)

प्रति हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
(मुन्सिफ/एन.आई.एक्ट कोर्ट)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम

21-10-023